मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 05/परीक्षा/2009/21.12.2009 — **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि-31.01.2010**

राज्य सेवा परीक्षा - 2009

प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 18.04.2010 (रविवार)

अ. प्रथम प्रश्न पत्र - सामान्य अध्ययन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक

ब. द्वितीय प्रश्न पत्र - ऐच्छिक विषय अपरान्ह 3.00 बजे से 5.00 बजे तक

:: आवश्यक ::

1. राज्य सेवा परीक्षा 2009 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
2. उपरोक्त परीक्षा के लिये आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग अथवा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जावेगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2009 के लिये ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24 दिसंबर 2009 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 31 जनवरी, 2010 तक रात्रि 12.00 बजे तक भरे जा सकेंगे।

1 :- मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र दिनांक 18 जुलाई 2008 में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के नियम-3 (1) में उल्लेखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 18.04.2010 को आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2 :- राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारम्भिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख है तथा इसके अतिरिक्त परिशिष्ट-चार में ऑप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश उल्लिखित हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

3 :- इस परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए चयन किया जाएगा। वर्गवार पदों की संख्या का निर्धारण शासन के विभागों में संधारित रोस्टर के अनुसार किया गया है। भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार हैं:-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से विकलांगों के लिये आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भू.पू. सैनिकों के लिये आर्रक्षित पद	कुल	वेतनमान
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग	08	02	03	02	02	-	-	-	-	-	15	पुनरीक्षित 15600-39100+ 5400
2.	जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर विभाग	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	02	पुनरीक्षित 15600-39100
3.	अधीक्षक जेल विभाग	02	-	-	01	-	-	-	-	-	-	03	पुनरीक्षित 15600-39100+ 5400
4.	सहायक संचालक/जिला आपूर्ति अधिकारी उपभोक्ता संरक्षण विभाग	05	02	01	02	02	01	-	01	-	-	10	8000-275-13500
5.	सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	8000-275-13500
6.	सहायक संचालक, वित्त विभाग, स्थानीय निधि	10	02	03	03	03	-	01	01	अनारक्षित-01 अस्थिबाधित	-	18	8000-13500
7.	सहायक संचालक वित्त विभाग	01	01	01	-	-	-	-	-	-	-	03	8000-275-13500
8.	सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	02	15600-39100+ 5400
9.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग	04	01	01	01	01	-	-	01	-	-	07	5500-9000
10.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	08	03	03	-	02	01	01	-	अनारक्षित-01 अस्थिबाधित/ श्रवण बाधित (मूक नहीं)	-	14	पुनरीक्षित 9300-34800+4200
11.	नायब तहसीलदार राजस्व विभाग	64	21	27 + 05 (बैकलॉग = 32	17	20	07	10	06	अना.-04, अ.जा.-01, अ.ज.जा.-02, अ.पि.व..-01 कुल=08	अना.-06, अ.जा.-02, अ.ज.जा.-03, अ.पि.व..-02 कुल=13	134	5500-175-9000
12	आबकारी उप निरीक्षक आबकारी विभाग	16	07	13	02	05	02	04	-	-	अना.-02, अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01 कुल=04	38	4500-125-7000
13.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक वाणिज्यिक कर विभाग	50	16	20	14	15	05	06	04	06	10	100	पुनरीक्षित 5200-20200+ 2800
14.	सहायक अधीक्षक (उप जेलर) जेल विभाग	05	-	-	-	01	-	-	-	-	अनारक्षित-01 पुरुष	05	पुनरीक्षित 5200-20200+ 2800
											योग	**352**	

टीपः- तालिका में दर्शाए गये निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग आवेदकों हेतु आरक्षित पदों का श्रेणीवार तथा महिला आरक्षण के संदर्भ में स्थिति पृथक से यथासमय सूचित की जायेगी।

अत्यंत महत्वपूर्ण :-

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगता, विषय तथा केंद्र आदि को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में आवेदक आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में आवेदक से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे आवेदन आयोग में नस्तीबद्ध किये जायेंगे। आवेदक द्वारा भरी गई श्रेणी के आधार पर ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य अंतिम तिथि के 10 दिवस पश्चात तक किया जा सकेगा इस हेतु आवेदक को स्वयं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के इन्दौर स्थित कार्यालय अथवा एम.पी. ऑनलाइन के भोपाल स्थित कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज तथा कियोस्क से प्राप्त रसीद के साथ संपर्क करना होगा जहां रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।

3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग की मांग की जाती है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि रुपये 90/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।

उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश हेतु परिशिष्ट-2 देखें। एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सूची इस विज्ञापन के परिशिष्ट-तीन के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

4. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यार्थी के अभाव में चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणित (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।

5. पदों की संख्या शासन से प्राप्त सूचना के आधार पर परिवर्तनीय रहेंगी। विज्ञापित पदों के अलावा नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में शासन से प्राप्त होने पर इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी। परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किये जायेंगे। अतः मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के इस श्रेणी के आवेदक स्वयं को अनारक्षित श्रेणी में दर्शाएं। जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ अनारक्षित रूप में विचारित किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

7. मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ नियम, 1961 के नियम 6 में दिनांक 10.3.2000 को किए गए संशोधन के अनुसार-

अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

8. परीक्षा योजना :-

1. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक चरण हैं-

(1) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न); और

(2) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार)।

राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारम्भिक परीक्षा के पाठ्यक्रम परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख है।

2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) के दो प्रश्न पत्र होंगे और नीचे दी गई योजनानुसार प्रश्न पत्र अधिकतम 450 अंकों के होंगे।

प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य)	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	150 अंक
द्वितीय प्रश्न पत्र	पैरा-3 में दिये गये ऐच्छिक प्रश्नपत्रों में से एक विषय चुना जायेगा।	2 घंटे	300 अंक

यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण (स्क्रीनिंग टेस्ट) के रूप में ली जाती है और ऐसे उम्मीदवारों द्वारा जिन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह घोषित किया जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की गणना, उनका अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं की जायेगी।

3. प्रारंभिक परीक्षा के लिये ऐच्छिक विषयों की सूची-

कोड संख्या	विषय	कोड संख्या	विषय
01	कृषि	13	अर्थशास्त्र
02	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	14	भारतीय इतिहास
03	प्राणी शास्त्र	15	भूगोल
04	वनस्पति शास्त्र	16	भू-विज्ञान
05	रसायन शास्त्र	17	राजनीति शास्त्र
06	भौतिकी	18	लोक प्रशासन
07	गणित	19	समाज शास्त्र
08	सांख्यिकी	20	अपराध शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान
09	सिविल इंजीनियरिंग	21	मनोविज्ञान
10	विद्युत इंजीनियरिंग	22	दर्शन शास्त्र
11	यांत्रिकी इंजीनियरिंग	23	विधि
12	वाणिज्य		

4. (1) दोनों प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये चार सम्भाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गये, अ, ब, स या द में से केवल एक पर चिन्ह लगाएं।

(2) प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य विषय- सामान्य अध्ययन) में 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक होगा और यह 2 घंटे की समयावधि का होगा। द्वितीय प्रश्नपत्र में 120 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा और यह दो घंटे की समयावधि का होगा।

(3) ऐच्छिक विषयों के लिये पाठ्यक्रम की विषय वस्तु उपाधिस्तर की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन तथा ऐच्छिक विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

(4) इंजीनियरिंग विषयों को छोड़कर प्रत्येक प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा। इंजीनियरिंग विषयों के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

5. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दर्शित की गई सेवा तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से लगभग 15 गुना होगी। केवल वे ही उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने विशिष्ट विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजनों हेतु ये न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

9. प्रारंभिक परीक्षा के जिला केन्द्र -

परीक्षा केन्द्र	कोड नंबर	परीक्षा केन्द्र	कोड नंबर
इन्दौर	01	मण्डला	26
उज्जैन	02	मंदसौर	27
उमरिया	03	मुरैना	28
कटनी	04	रतलाम	29
खण्डवा	05	राजगढ़	30
खरगौन	06	रायसेन	31
ग्वालियर	07	रीवा	32
गुना	08	विदिशा	33
छतरपुर	09	शहडोल	34
छिंदवाड़ा	10	शाजापुर	35
जबलपुर	11	शिवपुरी	36
झाबुआ	12	श्योपुर	37
टीकमगढ़	13	सतना	38
दतिया	14	सागर	39
दमोह	15	सिवनी	40
देवास	16	सीधी	41
धार	17	सीहोर	42
नरसिंहपुर	18	हरदा	43
नीमच	19	होशंगाबाद	44
पन्ना	20	अशोकनगर	45
बड़वानी	21	बुरहानपुर	46
बालाघाट	22	डिण्डोरी	47
बैतूल	23	अनूपपुर	48
भिण्ड	24	अलीराजपुर	49
भोपाल	25	सिंगरौली	50

नोटः- आवेदक परीक्षा जिला केंद्र कोड सावधानीपूर्वक देखकर भरें। परीक्षा जिला केंद्र किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा।

आयोग उपलब्ध स्थान के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा जिला केंद्र आवंटित करेगा। आयोग के लिए यह आवश्यक एवं बंधनकारक नहीं है कि आवेदक द्वारा मांगा गया परीक्षा केंद्र ही आवंटित किया जाये। परीक्षा केंद्रों की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आयोग परीक्षा केंद्र आवंटित करेगा। आयोग निर्धारित परीक्षा केंद्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि केंद्र परिवर्तन हेतु उनके आवेदन पत्रों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया जाएगा।

10. स्केलिंग पद्धति (Scaling method) -

(01) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के ऐच्छिक विषयों में स्केलिंग पद्धति लागू की जायेगी। इसमें आवेदकों द्वारा उनके ऐच्छिक विषय में प्राप्त अंकों को स्केल (Scale) किया जावेगा। इस हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जायेगा :-

स्केल्ड अंक $= M + (x - m)\, S/s$

यहां

M = राज्य सेवा परीक्षा के विभिन्न ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का ओव्हरआल माध्य (overall mean)

X = आवेदक द्वारा किसी ऐच्छिक विषय में प्राप्त बगैर स्केल किये गये अंक (raw marks)

m = किसी ऐच्छिक विषय में प्राप्त बगैर स्केल किये गये अंकों (raw marks) का माध्य (mean)

S = सभी ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)

s = किसी ऐच्छिक विषय के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)

(02) अनिवार्य विषयों के अंकों का स्केलिंग नहीं होगा। अनिवार्य विषयों के वास्तविक प्राप्तांकों को ऐच्छिक विषय में स्केल्ड अंकों के साथ जोड़कर जो कुल अंक प्राप्त होंगे, उनके आधार पर ही प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। इस प्रावीण्य सूची में विभिन्न श्रेणी के विज्ञापित पदों के 15 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में दोनों ऐच्छिक विषयों के चारों प्रश्नपत्रों के लिये भी अलग-अलग स्केलिंग पद्धति अपनाकर जो अंक प्राप्त होंगे उन अंकों को अनिवार्य विषयों केअंकों के साथ जोड़कर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी इस प्रकार बनी प्रावीण्य सूची में विभिन्न श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक पाने वाले आवेदक साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किए जाएंगे। आवेदकों को नान स्केल्ड अंक नहीं बताये जावेंगे।

11. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवार के पास, भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिये।

टीप- (1) ऐसे उम्मीदवार, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे

उम्मीदवार जिनका ऐसी आगामी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होना आशयित हो, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त उम्मीदवारों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किये गये हों, मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ, अपेक्षित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा हेतु जिन आवेदन पत्रों के साथ स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होंगे उन आवेदनों को अस्वीकार किया जायेगा।

टीप- (2) ऐसे उम्मीदवार भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

12 :- आयु सीमा एवं संगणना की तिथि -

आयु की गणना **01 जनवरी, 2010** के संदर्भ में की जायेगी।

(1) आबकारी तथा जेल विभाग के अन्तर्गत आबकारी उप निरीक्षक एवं अधीक्षक जिला जेल एवं सहायक अधीक्षक (उप जेलर) के पद हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
आबकारी उप निरीक्षक	21 वर्ष	33 वर्ष
अधीक्षक जिला जेल	21 वर्ष	30 वर्ष
सहायक अधीक्षक (उप जेलर)	18 वर्ष	30 वर्ष

आबकारी उप निरीक्षक, अधीक्षक, जिला जेल एवं सहायक अधीक्षक (उप जेलर) के पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड निम्नानुसार हैं :-

क्र.	पद का नाम	लिंग	ऊँचाई से.मी. में	सीने का घेरा बगैर फुलाये से.मी. में	सीने का घेरा पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आबकारी उप निरीक्षक	पुरुष	165	81	86
		महिला	152.4	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
2.	अधीक्षक, जिला जेल	पुरुष	165	84	89
		महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
3.	सहायक अधीक्षक (उप जेलर)	पुरुष	165	80	--
		महिला	158	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं

अधीक्षक, जिला जेल एवं सहायक अधीक्षक (उप जेलर) के पदों के लिए दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और सभी दृष्टि से शारीरिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए।

(2) **आबकारी उप निरीक्षक, अधीक्षक, जिला जेल एवं सहायक अधीक्षक (उप जेलर) के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु आयु सीमा निम्नानुसार होगी :-**

उम्मीदवार ने 21 (इक्कीस) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 30 (तीस) वर्ष की आयु पूरी न की हो परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-5/2008/3/1 दिनांक 23 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35+3=38 वर्ष नियत की गई है, किन्तु आबकारी विभाग तथा जेल विभाग के प्रशासनिक पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा उनके भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही शासित होगी :-

मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु परिशिष्ट-1 (तीन-ब) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

13. **1. आयु सीमा में छूट हेतु परिशिष्ट-1 देखें।**
2. ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश हेतु परिशिष्ट-2 देखें।
3. एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सूची हेतु परिशिष्ट-3 देखें।

सचिव

परिशिष्ट-1

आयु सीमा में छूटें :-

(एक) आबकारी उप निरीक्षक-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय/वर्क चार्ज्ड एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
3. अधिकतम 3 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि कम करने के पश्चात् बशर्ते कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।

   स्पष्टीकरण : पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और उसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।
4. कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।
5. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।
6. विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

(दो) अधीक्षक जिला जेल एवं सहायक अधीक्षक (उप जेलर) -

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय/वर्क चार्ज्ड एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले शासकीय कर्मचारियों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-14/93/3/1, दिनांक 10.5.1993 के अनुसार राज्य के निगम, मंडल, परिषद्, नगर-निगम, नगरपालिका आदि स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष है।
4. स्वयंसेवी नगर सैनिकों/वालंटरी होमगार्ड एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी काल अवधि तक की छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी। किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. अधिकतम 3 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि कम करने के पश्चात् बशर्ते कि यह सेवा एक से अधिक बार की गई हो।

   स्पष्टीकरण : पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और उसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो,
6. कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो।
7. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट आरक्षित वर्ग की आवेदिकाओं तथा विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उन्हें देय 05 वर्ष की छूट के अतिरिक्त होगी।

   विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त विशेष छूट देय होगी।

टीप- (तीन) (ब) में उल्लेखित प्रोत्साहन स्वरूप छूटें उक्त दोनों पदों हेतु देय होंगी।

(तीन) अन्य पदों हेतु देय छूटें निम्नानुसार हैं -

(अ) वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) **अधिकतम पांच वर्ष तक :** यदि कोई उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और जो ऐसी जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, जिसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया हो।

(2) **अधिकतम तीन वर्ष तक :** यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों से भीरतीय मूल का वास्तविक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो-

(1) बर्मा से, जिसने 1 जून, 1963 को या उसके पश्चात भारत में प्रवास किया हो; या

(2) श्रीलंका से, जिसने 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात भारत में प्रवास किया हो; या

(3) यदि उम्मीदवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और जिसने 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की कालावधि के दौरान भारत में प्रवास किया हो।

(3) **अधिकतम 8 वर्ष तक :** यदि उम्मीदवार ऊपर पैरा (2) में उल्लिखित स्वदेश प्रत्यावर्तित या विस्थापित व्यक्ति हो और मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा मध्यप्रदेश में अधिवासित हो,

(4) **अधिकतम 5 वर्ष तक :** यदि उम्मीदवार अपनी प्रथम नियुक्ति के समय विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता हो,

(5) **अधिकतम 3 वर्ष तक :** सुरक्षा सेवा कार्मिक के मामले में जो किसी दूसरे देश से हुए युद्ध के दौरान या अशांत क्षेत्र में किसी फौजी कार्यवाही के दौरान निर्योग्यता से ग्रस्त हो गया और उसके परिणामस्वरूप कर्तव्य से सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(6) **अधिकतम 8 वर्ष तक :** यदि उपर्युक्त श्रेणी (5) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो,

(7) **अधिकतम 3 वर्ष तक :** ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो वियतनाम से भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित (भारतीय पासपोर्ट धारी) व्यक्ति हो तथा साथ ही ऐसा उम्मीदवार, जो वियतनाम में भारतीय दूतावास द्वारा उसे जारी किया गया आपातकाल प्रमाण पत्र धारित कर रहा हो तथा जो वियतनाम से भारत में जुलाई, 1975 के पूर्व न आया हो,

(8) **अधिकतम 8 वर्ष तक :** यदि उपर्युक्त श्रेणी (7) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(9) **अधिकतम 5 वर्ष तक :** ऐसे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन्ड आफिसर्स, के मामले में, जिनमें ईसीओ/एस.एस.सी.ओ. शामिल हैं, जिन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती 1 जनवरी को सैनिक सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिये हों और जिन्हें दुराचरण या अक्षमता अथवा सैनिक सेवा के दौरान हुई शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण बर्खास्त या सेवामुक्त किए जाने से भिन्न स्थिति में सेवा पूरी करने पर निर्मुक्त किया गया था, (इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी सेवा अवधि उक्त तारीख से छह मास के भीतर समाप्त होने वाली है।);

(10) **अधिकतम दस वर्ष तक :** यदि उपर्युक्त श्रेणी (9) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(11) कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो;

(12) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी तथा राज्य के निगम, मण्डल, परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष विहित की गई है। उपरोक्त रियायत कार्यभारित कर्मचारियों तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित/पदस्थापनाओं पर भी लागू होगी। (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।);

(13) **अधिकतम 3 वर्ष तक :** यदि उम्मीदवार छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि कम करने के पश्चात् बशर्ते कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।

स्पष्टीकरण : पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और उसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(14) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को **द्वितीय श्रेणी** हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा **तृतीय**

श्रेणी सेवा हेतु 10 वर्ष की छूट रहेगी। न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता होने पर ही विकलांग प्रवर्ग की सुविधा दी जाएगी;

(15) अधिकतम 10 वर्ष तक : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला उम्मीदवार (जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की महिलाएँ भी सम्मिलित हैं) को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ब) प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटें:-

(1) अधिकतम 2 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार के पास परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने नाम पर ग्रीनकार्ड हो,

(2) अधिकतम 5 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.6.1985 के अनुसार आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अंतर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(3) अधिकतम 5 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार "विक्रम अवार्ड" से सम्मानित खिलाड़ी हो,

टीप- (i) "अ" 1 से 15 में दर्शायी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिन्दु क्रमांक "अ" के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।

टीप- (ii) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी वर्कचार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित है) अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित है। सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करें। ऐसे आवेदकों को परिशिष्ट-1 में अंकित उक्त छूट के अतिरिक्त अन्य किसी भी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा परंतु परिशिष्ट-1 (तीन-ब) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटों में से अधिकतम लाभ वाले किसी एक छूट का लाभ तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

टीप- (iii) "ब" 1 से 3 के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह बिन्दु 'अ' में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

टीप- (iv) अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सेवा परीक्षा नियम 6 (3) (ख) में भी वर्णित है यह छूट दो प्रकार की है-

(एक) वर्ग विशेष के लिये छूट- इसके अंतर्गत राज्य सेवा परीक्षा नियम 6 (3) (ख) की छूट क्रमांक (एक) से (चार) तथा (आठ) से (अठारह) तक की छूटें सम्मिलित हैं।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें- इसमें राज्य सेवा परीक्षा नियम 6 (3) (ख) की छूट क्रमांक (पांच) से (सात) सम्मिलित है। उपरोक्त कंडिका की बिन्दु क्रमांक (अ) में उल्लेखित वर्गों में से यदि कोई आवेदक शासन द्वारा भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित छूट का लाभ प्राप्त होगा। बिन्दु क्रमांक (ब) में उल्लेखित प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों के आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (अ) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।

उक्त छूटों के सिवाय विहित आयु सीमाओं में किसी भी मामले में छूट नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए। इसके अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिये गये जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि दर्ज हो जाने के बाद उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की किसी मांग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा एवं ऐसे अभ्यावेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा। **प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।**

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य सेवा परीक्षा 2009 के लिए ऑनलाइन आवेदनपत्र www.mponline.gov.in अथवा www.mppsc.com या www.mppsc.nic.in वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है -

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे -
   1. https://www.mponline.gov.in
   2. www.mppsc.com
   3. www.mppsc.nic.in
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर https://www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं :-
3. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं :-

   (1) स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Mastercard or VISA) के माध्यम से कर सकते हैं।

   (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर तथा यूनियन बैंक के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
4. Mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची https:///www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है। आवेदकों की सुविधा हेतु यह सूची इस विज्ञापन के **परिशिष्ट-3** के रूप में प्रकाशित की जा रही है।
5. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। https://www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्केनिंग की सुविधा है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
8. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
9. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की दो पृष्ठीय सूचना मिलेगी जिसमें उसके द्वारा जमा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति तथा Trasition ID तथा पंजीयन क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट कर अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें। **आवेदक उक्त रसीद को सम्हालकर रखें क्योंकि उक्त रसीद में अंकित जानकारियों की प्रविष्टि कर इन्टरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे।**
10. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् उसका एक प्रिंट-आउट लेकर प्रति अपने पास रख लें।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. **आवेदन पत्र दिनांक 24.12.2009 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 31.01.2010 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।**
3. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य अंतिम तिथि के 10 दिवस पश्चात तक किया जा सकेगा। इस हेतु आवेदक को स्वयं मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के इंदौर स्थित कार्यालय अथवा एमपीऑनलाइन के भोपाल स्थित कार्यालय में अपने मूल दस्तावेज तथा कियोस्क से प्राप्त रसीद के साथ संपर्क करना होगा जहां रुपये 50/- त्रुटि सुधार सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
4. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि रुपये 90/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।

परीक्षा शुल्क :-

5. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं उनके लिये परीक्षा शुल्क रुपये 90/- देय होंगे।
6. विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क 90/- रुपये देय होंगे।
7. शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क 180/- देय होंगे।
8. प्रत्येक आवेदक को उक्त शुल्क के अतिरिक्त 35/- रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क
90/- रुपये	180/- रुपये
उपरोक्त के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35/- रुपये अतिरिक्त देय होगा।	

परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के लिए शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्रमांक (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617

मोबाइल : तनमय तिवारी 9300282449

राजेश गुर्जर 9009841980, अनिल सेठी 9977992395

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2009 के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट https://**www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** एवं **www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए https://**www.mponline.gov.in** पर Authorized Kiosk list Link देखें। उपरोक्त सूची म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21.12.2009 को रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में दी गई है। आवेदक काल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 18002335343 तथा 155343 (टोल फ्री) से भी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

परीक्षा दिनांक :- 18.4.2010

1. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

आवेदक https://**www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर [Citizen Services] क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर [MPPSC] बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां तीन आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Open Application Form

Pay for unpaid Application

Click here to view advertisement

आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना फार्म भर सकता है। आवेदक फार्म भरने से पहले **Click here to view advertisement** को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Open Application Form** को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (**प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें *Link.***) दिखाई देगी। ***Link.*** को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg या gif फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे :-

1. क्रेडिट कार्ड।
2. इंटरनेट बैंकिंग।

1. **क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
2. **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment बटन दबाएगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर अवश्य लें।

1. **एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-**
आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक https://**www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभालकर रखें।
जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

3. **यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है :-**
इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application** में उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।
4. आवेदकों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
5. ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट- **यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें।**

म.प्र. लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर
(0731) 2701624, 2701983

……………………………………

एमपीऑनलाइन लिमिटेड
निरुपम शॉपिंग मॉल
द्वितीय तल, अहमदपुर,
होशंगाबाद रोड, भोपाल-462026
फोन (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617
काल सेंटर - 18002335343 तथा 155343 (टोल फ्री)
मोबाइल : (तकनीकी समस्या के लिए)
विपुल 9424719269 एवं गीत कानूनगो 9893890299
(अन्य) तनमय तिवारी 9300282449 एवं राजेश गुर्जर 9009841980

2. **अन्य निर्देश/जानकारी :-**

1. प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण-पत्र/विकलांगता/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र आदि नहीं मांग रहा है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ प्राप्त कर परीक्षण उपरांत आवेदक की अर्हता (eligibility) की जांच की जाएगी।
2. प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिये केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
3. प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियां जारी नहीं की जाती हैं।
4. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केंद्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए।
6. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग कार्यालय को तत्काल भेजी जाये, यद्यपि आयोग पता परिवर्तन का पूरा प्रयास करता है किन्तु इस मामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।
7. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या प्रयास करना, दी गई उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धोंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
8. **पहचान चिन्हः-** उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जायेगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
9. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।
10. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिये यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
11. आवेदक की अर्हता/पात्रता देखिए परीक्षा नियम 6, 8, 9, 10 एवं 14। दंड/शास्ति देखिये परीक्षा नियम 16.

3. परीक्षा एवं ऑनलाइन आवेदन शुल्क :-

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं के लिये शुल्क रुपये 90/- देय होगा।

(ब) विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रुपये 90/- देय होंगे।

(स) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रुपये 180/- देय होंगे।

उक्त शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक आवेदक को रुपये 35 पोर्टल शुल्क देय होगा।
आवेदन शुल्क का भुगतान इस परिशिष्ट के पैरा 1.2 तथा 3 में बताये अनुसार करना होगा।
उपरोक्त शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई भुगतान नहीं करना है।
यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी. ऑनलाइन के निम्न फोन नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करायें :
फोन (0755) 2418599, 2418600, 2418706, 2418617
(मुख्य परीक्षा हेतु योग्य आवेदकों को परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा।)

टीप- **आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापिस किया जायेगा-**
01. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
02. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।
पोर्टल शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

4. आवेदन की अंतिम तिथिः-
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 31.01.2010** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

5. नियोक्ता की अनापत्तिः-
जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको यह परिवचन (Under taking) (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त पद के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

6. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा के समय निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा-

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्युलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।

जाति के प्रमाण पत्र- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण (जो कि आवेदन की अंतिम तिथि को छः माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में आवेदक का कोई वचनपत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित आवेदिकाएं जाति प्रमाणन हेतु पिता के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात क्रीमीलेयर में न आने के प्रमाणस्वरूप अपने पति के नाम युक्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन (पिता/पति) का शपथ पत्र संलग्न करें।**

विकलांगता प्रमाण पत्र :-
विकलांग श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक लिफाफे पर विकलांग भी लिखें। (विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक होने पर ही विकलांग श्रेणी के आवेदकों को देय छूटों का लाभ प्राप्त होगा)
तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

परिशिष्ट - एक कंडिका-(तीन-अ-4) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(एक-2 से 4, दो-2 से 4 तक एवं तीन-अ-9 से 13 तक) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(तीन-ब-1) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(तीन-ब-2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(तीन-ब-3) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-एक की कंडिका-(तीन-अ-2, 5, 6, 7 एवं 8) के अंतर्गत छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकारी अधिकारी का प्रमाण पत्र।

7. अनर्हताएं :-

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग से निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो, या
2. प्रतिरूपण किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो, या
4. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
5. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
6. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
7. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
8. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
9. उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे दायी ठहराने के अलावा-

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-

(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से,

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा, और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि-

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

8. प्रवेश पत्र-

1. किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।
2. प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in तथा https://www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। **प्रवेश पत्र एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।**
3. यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी.ऑनलाइन से संपर्क करें।
4. यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परंतु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।
5. आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को सामान्य डाक से उनके आवेदन पत्र में दर्शाए वर्तमान पते पर भेजी जाती है। आयोग द्वारा मान्य पहचान चिन्ह एवं अनुसूचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी। अतः ऐसे आवेदकों को अंक सूची नहीं भेजी जाएगी, किन्तु यदि किसी आवेदक को आयोग द्वारा भेजी गई अंक सूची किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है तो अंक सूची की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) प्राप्त करने के लिये रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के लिये पर्याप्त डाक टिकट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रुपये 25/- रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के नाम से भेजें। अंक सूची की द्वितीय प्रति उन्हीं आवेदकों को भेजी जाएगी जिनके आवेदन चयन परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त होंगे।
6. विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है। आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
7. विकलांग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदक मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र संलग्न करने के साथ ही मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के लिफाफे पर **विकलांग/भूतपूर्व सैनिक** स्पष्ट उल्लेख करें।
8. मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार है :-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा-2009 के विज्ञापन क्रमांक .... दिनांक............ के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर..............

नाम..................

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण-पत्र केवल मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

9. यात्रा व्यय का भुगतान-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दृष्टिहीन विकलांग आवेदक अपने निवास स्थान के निकटतम परीक्षा केन्द्र को ही भरें। उन्हें उनके निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र तक का ही यात्रा व्यय देय होगा। मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासियों को जो कहीं सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दृष्टिहीन विकलांग को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। अतः वे मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र/दृष्टिहीन विकलांगता प्रमाण-पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा।
2. साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

सचिव